भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4241
उत्तर देने की तारीख- 19/08/2025

राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण संस्थान

4241. श्री अरुण गोविल:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण संस्थानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2014 से उक्त संस्थानों में पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई विशिष्ट उपाय लागू किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचना, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित कर्मचारियों के संदर्भ में दिव्यांगजनों के अनुकूल कुल कितने स्कूल हैं; और

(च) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायक उपकरण, विशेष शिक्षक और परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जाएँ?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु नौ राष्ट्रीय संस्थान चलाए जा रहे हैं जिनका विवरण अनुबंध पर है।

(ख) इस विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों को वित्तीय सहायता इन संस्थानों द्वारा प्रस्तुत बजटीय आवश्यकताओं और इस विभाग को किये गए आवंटन के अनुसार वार्षिक आधार पर दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय संस्थानों में पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में 2014-15 और 2024-25 के बीच काफी वृद्धि हुई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या 94 से बढ़कर 143 हो गई, जबकि छात्रों का नामांकन 2,287 से बढ़कर 3,511 हो गया।

(घ) से (च) दिव्यांगजन अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम, 2016 (धारा 16 और 17) में प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों, व्यक्तिगत सहायता, स्कूलों में उचित आवास के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा और सुगम्य परिवहन, दिव्यांग बच्चों और उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के सहायक को परिवहन सुविधा प्रदान करना, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर पांच साल में सर्वेक्षण करना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, सुगम्य शिक्षा को बढ़ावा देना-देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में पूर्ण भागीदारी और शिक्षा पूर्णता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

विभाग 'दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप योजना)' को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यन्त्र और उपकरणों की खरीद में सहायता की जा सके जिससे पूरे देश में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकें।

इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

सुगम्यता को और अधिक बढ़ाने के लिए, विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थान परिवहन सुविधाओं और यात्रा में सहायता की व्यवस्था करते हैं, जिसमें पिकअप/ड्रॉप सेवाएं और यात्रा रियायतें शामिल हैं, जिससे संस्थानों तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होती है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), दिव्यांगजन अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम, 2016 के अनुरूप, देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र सहित संबद्ध स्कूलों में समावेशी प्रथाओं को अनिवार्य करता है। मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर जिलों में स्थित 62 स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। इस बोर्ड ने अपने से संबद्ध स्कूलों में दिव्यांगजनों के अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) इसके संबद्धता उपनियमों के तहत अनिवार्य आधारभूत संरचनात्मक प्रावधान हैं जैसे रैंप, श्रवण संकेत और सुगम्य शौचालय ।

(ii) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) की सहायता के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति।

(iii) परीक्षा में रियायतें जैसे कि अतिरिक्त समय, स्क्राइब का उपयोग, दूसरी भाषा से छूट, और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का प्रावधान।

(iv) संस्थानों के लिए भौतिक और संवाद बाधाओं को दूर करने के लिए दिशानिर्देश और एक सुगम्यता कोड।

(v) क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और समावेशी प्रथाओं पर नियमावली के माध्यम से समावेशी शिक्षण को बढ़ाना।

(vi) समावेशी शिक्षा के लिए एक हैंड बुक जो स्कूलों को समावेशी अधिगम वातावरण बनाने में मदद करती है।

****

अनुबंध

दिनांक 19.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4241 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
3. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद
4. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई
5. पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
6. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीनिरतार), कटक
7. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता
8. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली
9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर (एनआईएमएचआर), सीहोर

*****